

# प्रेस नोट दिनांक: 22.05.2024

## थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली

◆थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 टाटा मैजिक वाहन के साथ कुल 110 पेटी में 969.4 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

◆बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की कुल अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख-रुपये।

**चन्दौली-** पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगे द्वारा जनपद में शराब तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय गगनराज सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस टीम को दिनांक 21.05.2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि छित्तमपुर की तरफ से 01 टाटा मैजिक वाहन से शराब की तस्करी करके बिहार ले जाया जा रहा है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा ग्राम कुण्डेखुर्द जाने वाले रास्ते से 50 मीटर आगे छित्तमपुर वाली रोड पर चेकिंग के दौरान 1. विपिन जायसवाल पुत्र ओमप्रकाश जायसवाल नि. मैनाताली थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र करीब 37 वर्ष व 2. अभिषेक यादव पुत्र स्व0 अशोक यादव निवासी ग्राम लिझरी अदलहाट, मिर्जापुर उम्र करीब 23 वर्ष के कब्जे से 01 टाटा मैजिक वाहन सं0 UP67AT2838 में 1. आफ्टर डार्क ब्लू कुल 56 पेटी, प्रत्येक पेटी में 48 पीस, 1 पीस की मात्रा 180 ML कुल 483.84 लीटर 2. रायल स्टेज कुल 44 पेटी प्रत्येक पेटी में 12 बोतल प्रत्येक बोतल की धारिता 750 ML कुल 396 लीटर 3. सिग्नेचर रेड एज बिस्की की 10 पेटी एक पेटी में कुल 12 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML कुल 90 लीटर अंग्रेजी शराब कुल 110 पेटी(कार्टून) में शराब 969.4 लीटर अवैध शराब की बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मुगलसराय पर मु0अ0सं0 277/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### नाम पता अभियुक्तगण-

- विपिन जायसवाल पुत्र ओमप्रकाश जायसवाल नि. मैनाताली कस्बा मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र करीब 37 वर्ष
- अभिषेक यादव पुत्र स्व0 अशोक यादव निवासी ग्राम लिझरी अदलहाट, मिर्जापुर उम्र करीब 23 वर्ष

### पंजीकृत अभियोग-

- 277/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

### विवरण बरामदगी-

- 01 टाटा मैजिक जिसका रजि0न0 UP67AT2838
- कुल 110 पेटी(कार्टून) में आफ्टर डार्क ब्लू कुल 56 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 पीस, 1 पीस की मात्रा 180 ML कुल 483.84 लीटर 2. रायल स्टेज कुल 44 पेटी प्रत्येक पेटी में 12 बोतल प्रत्येक बोतल की धारिता 750 ML कुल 396 लीटर 3. सिग्नेचर रेड

एज बिस्की की 10 पेटी एक पेटी में कुल 12 बोतल प्रत्येक बोतल 750 ML कुल 90 लीटर अंग्रेजी शराब , कुल कुल 110 पेटी(कार्टून) में शराब 969.4 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-**

- 1.प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।
- 2.उ0नि0 अजय कुमार चौकी प्रभारी रेलवे कालोनी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
- 3.उ0नि0 संजय ओझा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
- 4.हे0का0 अभिषेक दूबे थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
- 5.का0 अमित कुमारयादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
- 6.हे0का0 अभिषेक सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
- 7.हे0का0 सुरेन्द्र कुमार थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

## जनपद चन्दौली

◆ धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय जिलाधिकारी मण्डल वाराणसी के द्वारा गो-तस्कर/गैंगेस्टर विकास यादव की अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति जिसकी कुल अनुमानित कीमत 73,96,820.00 रुपये की सम्पत्ति कुर्क की गयी।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगे के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण नायब तहसीलदार अमित कुमार पीडीडीयू नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्र व प्रभारी निरीक्षक हरिनारायण पटेल थाना सकलडीहा की उपस्थिति में मु0अ0सं0 56/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली में नामजद अभियुक्त विकास यादव पुत्र इन्द्रजीत यादव निवासी ग्राम कैथा टड़िया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली की अचल सम्पत्ति

दिनांक 21.05.2025 को ग्राम कैथा टड़िया के आराजी नं0 629 रकबा 1.0580 हे0 में से 0.1260 हे0 भूमि व अचल सम्पत्ति ग्राम कैथा टड़िया के आराजी नं0 230 रकबा 0.0024 हे0 पैतृक भूमि में अभियुक्त विकास यादव उपरोक्त द्वारा निर्मित दो मंजिला मकान जिसकी अनुमानित कीमत 39.94 लाख रुपये सहित 43.47 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क किया गया था।

आज दिनांक 22.05.2025 को ग्राम अलीनगर (धूस) में खाता सं0 00599 के आ०न० 817 पर 63.2 वर्गमीटर जिसकी कीमत आवासीय दर 5100 रु0 प्रति वर्ग के दर से 3,22,320.00 रु0 जिसपर तीन मंजिला मकान जिसकी कीमत 25.35 लाख। चल सम्पत्ति-

1. वाहन संख्या यूपी 67 एडी 2887 मो०सा० जिसका अनुमानित मूल्य 50,500.00 रु0 है।
  2. वाहन संख्या यूपी 67 यू 9328 मो०सा० जिसका अनुमानित मूल्य 27,000.00 रु0 है।
  3. वाहन संख्या यूपी 67 टी 8934 बोलेरो मैक्सी जिसका अनुमानित मूल्य 1,15,000.00 रु० है।
- सहित कुल अनुमानित कीमत 73,96,820.00 रुपये है। की सम्पत्ति कुर्क किया गया।

मा0 न्यायालय जिलाधिकारी मण्डल वाराणसी जनपद तहसील वाद सं0 521/2025 कम्प्यूटरकृत वाद सं0 D202514180000521 सरकार बनाम विकास यादव को अन्तर्गत धारा 14(1) अधिनियम, गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया है।

### **कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-**

अचल सम्पत्ति ग्राम कैथा टड़िया के आराजी नं0 629 रकबा 1.0580 हे0 में से 0.1260 हे0 भूमि तथा अचल सम्पत्ति ग्राम कैथा टड़िया के आराजी नं0 230 रकबा 0.0024 हे0 पैतृक भूमि में निर्मित दो मंजिला मकान जिसकी अनुमानित कीमत 39.94 लाख रुपये ग्राम अलीनगर (धूस) में खाता सं0 00599 के आ०न० 817 पर 63.2 वर्गमीटर जिसकी कीमत आवासीय दर 5100 रु0 प्रति वर्ग के दर से 3,22,320.00 रु0 जिसपर तीन मंजिला मकान जिसकी कीमत 25.35 लाख। चल सम्पत्ति- 1. वाहन संख्या यूपी 67 एडी 2887 मो0सा0 जिसका अनुमानित मूल्य 50,500.00 रु0 है। 2. वाहन संख्या यूपी 67 यू 9328 मो0सा0 जिसका अनुमानित मूल्य 27,000.00 रु0 है। 3. वाहन संख्या यूपी 67 टी 8934 बोलेरो मैक्सी जिसका अनुमानित मूल्य 1,15,000.00 रु० है। सहित कुल कुल अनुमानित कीमत 73,96,820.00 रुपये है। की सम्पत्ति कुर्क किया गया है।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास यादव-**

- 1.मु0अ0सं0-131/24धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 निवा0 अधि0 व धारा 61(2) बीएनएस तथा 4/25 आर्म्स एक्ट बलुआ चन्दौली
- 2.मु0अ0सं0-133/24धारा 132, 221, 310(2), 317, 61(2) बीएनएस बलुआ चन्दौली
- 3.मु0अ0सं0-56/25 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट बलुआ चन्दौली

**कुर्की करने वाली टीम का विवरण-**

नायब तहसीलदार अमित कुमार  
क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर राजीव सिसौदिया  
प्र0नि0 थाना अलीनगर विनोद कुमार मिश्र  
नि0 रमेश कुमार यादव थाना अलीनगर  
प्र0नि0 सकलडीहा हरिनारायण पटेल